उत्तराखण्ड शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
संख्या-262 /XIX-1/2026/07 खाद्य 2017
देहरादून दिनांक 02 अप्रैल, 2026

व्यावसायिक एल०पी०जी० सिलेण्डर के वितरण हेतु पूर्व में निर्धारित एस०ओ०पी० को अतिक्रमित करते हुए संशोधित एस0ओ0पी0 (Revised SOP)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र DO No. L-16016/6/2026-GP-I दिनांक 16.03.2026, दिनांक 21.03.2026 एवं दिनांक 27.03.2026 द्वारा पश्चिम एशिया संकट के कारण एल0पी0जी0 की सप्लाई में आयी कठिनाईयों के कारण राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों हेतु व्यावसायिक एल0पी0जी0 हेतु क्रमशः 20%, 20% एवं 20% इस प्रकार कुल 60% कोटा तथा पत्र DO No. L-16016/6/2026-GP-I दिनांक 18.03.2026 द्वारा पी0एन0जी0 को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किये जाने हेतु चार श्रेणियां निर्धारित कर अतिरिक्त 10 प्रतिशत, इस प्रकार कुल 70 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है।

2— भारत सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक 16.03.2026 एवं दिनाक 21.03.2026 के सन्दर्भ में शासन के पत्र संख्या–231/XIX-1/2026/07 खाद्य 2017 दिनांक 16.03.2026 एवं पत्र संख्या–242/XIX-1/2026/07 खाद्य 2017 दिनांक 23.03.2026 व्यावसायिक एल0पी0जी0 हेतु 40 प्रतिशत कोटे के अनुसार एस0ओ0पी0 निर्धारित की गयी थी।

3— सम्प्रति भारत सरकार के पत्र DO No. L-16016/6/2026-GP-I दिनांक 18.03.2026 के सन्दर्भ में राज्य द्वारा पी0एन0जी0 को बढावा देने हेतु किये गये प्रयासों के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य 6% अतिरिक्त कोटा प्राप्त करने हेतु अधिकृत हो गया है। अतः पूर्व में शासन के पत्र दिनांक 16.03.2026 एवं 21.03.2026 द्वारा निर्धारित एस0ओ0पी0 को अतिक्रमित करते हुए कुल 66 प्रतिशत कोटे के अनुसार अग्रिम आदेश तक व्यावसायिक एल०पी०जी० सिलेन्डर के वितरण हेतु निम्नानुसार एस0ओ0पी0 निर्धारित की जाती है :–

क्रम संख्या	श्रेणी	दैनिक आवश्यकता का 66 प्रतिशत	आवंटन प्रतिशत	व्यावसायिक एल0पी0जी0 सिलेण्डरों की मांग
1.	होटल एवं रिजोर्ट	1500	24%	1500
2.	रेस्टोरेन्ट एवं ढाबा	2000	32%	2000
3.	सरकारी एवं सरकारी नियंत्रण के गेस्टहाऊस	300	5%	300
4.	डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण	200	3%	200
5.	पेइंग गेस्ट सुविधा वाले छात्रों के आवास	200	3%	200
6.	होम स्टे तथा स्वयं सहायता समूहों के प्रतिष्ठान	200	3%	200
7.	विवाह समारोह हेतु अधिकतम 2 व्यावसायिक सिलैण्डर	660	10%	660
8.	फार्मास्युटिकल,इस्पात, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, डाई, रसायन और प्लास्टिक को प्राथमिकता देने वाले उद्योग एवं औद्योगिक कैन्टीन	1250	20%	1250
	कुल	**6310**	**100%**	**6310**

4— उपरोक्त प्रस्तर–3 पर अंकित तालिका में क्रमांक–1 से 6 की श्रेणियों हेतु व्यावसायिक एल0पी0जी0 सिलेन्डरों को जनपदवार उनके गैस कनेक्शनों की संख्या के अनुरूप निम्नानुसार

आवंटित किया जाता है:–

कम संख्या	जनपद का नाम	व्यावसायिक एल0पी0जी0 वितरण हेतु आवंटन का प्रतिशत
01	देहरादून	31%
02	टिहरी	04%
03	हरिद्वार	13%
04	पौड़ी	04%
05	रूद्रप्रयाग	05%
06	उत्तरकाशी	04%
07	चमोली	06%
08	नैनीताल	13%
09	बागेश्वर	02%
10	अल्मोड़ा	04%
11	ऊधमसिंह नगर	09%
12	पिथौरागढ़	03%
13	चम्पावत	02%

5– उपरोक्त प्रस्तर–3 पर अंकित तालिका में क्रमांक–7 में विवाह समारोह हेतु निर्धारित 660 व्यावसायिक सिलेण्डरों का जनपदवार आवंटन/निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

कम संख्या	जनपद का नाम	व्यावसायिक एल0पी0जी0 सिलेण्डर का आवंटन (संख्या में)
01	देहरादून	176
02	हरिद्वार	64
03	नैनीताल	176
04	ऊधमसिंह नगर	64
05	टिहरी	18
06	पौड़ी	24
07	अल्मोड़ा	24
08	उत्तरकाशी	24
09	चमोली	18
10	बागेश्वर	18
11	पिथौरागढ़	18
12	चम्पावत	18
13	रूद्रप्रयाग	18
	योग	**660**

6– विवाह समारोह हेतु आवश्यकतानुसार अधिकतम 02 व्यवसायिक सिलेण्डर हेतु आवेदक से जिलाधिकारी/ जिला पूर्ति अधिकारी/उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर भली–भांति परीक्षण उपरान्त अस्थायी गैस कनेक्शन हेतु संस्तुति की जायेगी तदुपरांत संबंधित एल०पी०जी० वितरक द्वारा अस्थायी कनेक्शन जारी कर आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी और इसकी सूचना सम्बधित जिलाधिकारी को दी जायेगी। उक्त आवंटन विवाह समारोह हेतु निश्चित अवधि के लिए निर्धारित है, तदोपरान्त उक्त कोटा प्रस्तर–3 की तालिका के क्रमांक–1 से 6 श्रेणियों हेतु समायोजित कर लिया जायेगा।

7— उपरोक्त प्रस्तर–3 पर अंकित तालिका में क्रमांक–8 में उद्योगों के लिए दैनिक आवश्यकता हेतु निर्धारित 1250 सिलेण्डरों का जनपदवार आवंटन / निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

कम संख्या	जनपद का नाम	व्यावसायिक एल0पी0जी0 सिलेण्डर का आवंटन (संख्या में)
1	देहरादून	380
2	हरिद्वार	380
3	नैनीताल	20
4	टिहरी	20
5	ऊधमसिंहनगर	380
6	पौड़ी	70
	योग	**1250**

8— उपरोक्तानुसार आवंटन राज्य की 03 आपूर्तिकर्ता तेल व गैस कंपनियों (OMC) आई०ओ० सी०एल०, बी०पी०सी०एल० एवं एच०पी०सी० एल० की उनकी बाजार में वर्तमान हिस्सेदारी के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा। सभी तेल व गैस कम्पनियों के राज्य प्रमुख उपरोक्तानुसार व्यवसायिक गैस की आपूर्ति करेंगे तथा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी को भी सूचित करेंगे। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Digitally signed by
ANAND SWAROOP
Date: 02-04-2026
19:35:16

(आनन्द स्वरूप)
सचिव

संख्या–262/XIX–1/2026/07 खाद्य 2017 तद्दिनांक
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ ।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निजी सचिव, मा० मंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, को मा०मंत्री जी के संज्ञानार्थ
12. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. डिविजनल हेड, एल०पी०जी०, आई०ओ०सी०एल०, उत्तराखण्ड ।
14. टेरीटरी मैनेजर, एल०पी०जी०, बी०पी०सी०एल०, रुड़की।
15. चीफ रीजनल मैनेजर एल०पी०जी०, एच०पी०सी०एल0, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली।
16. गार्ड फाईल।

(आनन्द स्वरूप)
सचिव